

अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली, जिला-उदयपुर

पीठासीन अधिकारी: श्री मोहन सिंह, R.A.S

मुकदमा नम्बर : 201/16 (वाद)

उनवान

1. श्री भेरूसिंह पिता गोविन्दसिंह राजपूत निवासी सनवाड तह. मावली।

.....वादी

बनाम

1. श्री मोहनलाल पिता वेणीराम जाट निवासी भूमलावास की खेडी तह. मावली।

2. श्रीमती रूपीबाई बेवा वेणीराम जाट निवासी भूमलावास की खेडी तह. मावली।(मृतक)

3. राजथान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता उभय पक्षकारान की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 16.09.19 को मोहन सिंह, R.A.S. उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड की निम्न आराजियात का बटवाडा निम्नानुसार अंतिम किया जाता है :-

| क्र स | नाम खातेदार | आ.न. | रकबा | किस्म | लगान |
|-------|--|--------------------------|----------------------|--|-----------------------------------|
| 1 | भेरूसिंह पिता गोविन्दसिंह सा देह खातेदार रहन एस.बी.बी.जे. शाखा सनवाड हिस्सा सम्पूर्ण | 4071 4072/1 1073/1 | 4.03 1.10 7.07 | बंजड बंजड बीड खड्डा बारानी I | 1.25 0.45 0.70 — 5.31 |
| | योग | किता 3 | 13.00 | — | 7.71 |
| 2 | मोहनलाल पिता वेणीराम जाट सा भूमलावास की खेडी खातेदार | 4071/1 4072 4073 | 0.03 1.12 7.13 | बंजड बंजड बारानी I | 0.04 0.48 6.88 |
| | योग | किता 3 | 9.08 | — | 7.40 |

नोट- रूपीबाई के एकमात्र वारिस मोहनलाल होने से रूपीबाई का नाम हटाया गया। उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 16.09.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(मोहन सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली